

## न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :-

श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं.

324 / 2017

प्रार्थी

ब नाम

विप्रार्थीगण

1. बुधाराम पुत्र भगाराम 2. हरकू बेवा मोहनराम, 3. रमेश पुत्र मोहनराम, 4 इन्द्रा पुत्री मोहनराम, 5. हवली पुत्री भगाराम, 6. पप्पीदेवी पुत्री भगाराम. सभी जातियान जाट निवासियान नन्दवान तह. व जिला जोधपुर

1. वीरमाराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी नन्दवान तहसील व जिला जोधपुर  
2. भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा  
3. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. भारतीय स्टेट बैंक कल्याणपुर जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थित -

1. श्री जेठाराम सिंहल विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से -
2. श्री रतनलाल चौधरी विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थीगण की ओर से -

आदेश

दिनांक: 31-10-2017

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, सरहद मौजा मोरड़ा की राजस्व सीमा में खेत खसरा सं. 11 रकबा 04 बीघा 14 विस्वा, खसरा सं. 12 रकबा 05 बीघा, खसरा सं. 16 रकबा 282 बीघा 08 विस्वा, खसरा सं. 18 रकबा 62 बीघा 15 विस्वा, खसरा सं. 20 रकबा 179 बीघा 05 विस्वा कुल रकबा 534 बीघा 02 विस्वा, नरपतकरण के खातेदारी की थी, लक्ष्मणराम, भगाराम, अणदाराम तीनों ही सगे भाई थे, लक्ष्मणराम व भगाराम दोनो सगे सादु भी थे, भगाराम ने अपने बड़े पुत्र विप्रार्थी सं. 01 के नाम 1/6 हिस्सा तथा लक्ष्मणराम ने अपने बड़े पुत्र जीवाराम के नाम 1/6 हिस्सा तथा अणदाराम द्वारा अपने पुत्र भूराराम के नाम 1/6 हिस्सा, बन्नाराम के द्वारा अपने पौत्र नारायण के नाम 1/6 हिस्सा तथा अपने पौत्र धन्नाराम के नाम 1/6 हिस्सा व अपने पुत्र रूपाराम के नाम 1/6 हिस्सा संयुक्त बेचाननामें दिनांक 21.07.1967 में खरीद कर दर्ज करवाये, और मौके पर कब्जा प्राप्त किया, भगाराम, लक्ष्मणराम, अणदाराम के नाम भूमि खरीद की, उस समय उनकी आयु 19-20 वर्ष थी, तीनों पुत्रों की आय का कोई साधन नहीं था, अन्य पुत्रान सभी नाबालिग थे, तीनों भाईयों द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से संयुक्त हिन्दू परिवार के उपयोग उपभोग हेतु भूमि खरीद की भगाराम ने अपने पुत्र विरमाराम के नाम जो लगभग 50 वर्ष पूर्व 1/6 हिस्सा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीद किया था, पर भगाराम के जीवनकाल से सभी वारिसान का संयुक्त रूप से कब्जा कायम रहा व हैं। उस वक्त प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी नाबालिग थे, उक्त भूमि वर्तमान रिकॉर्ड में विप्रार्थी सं. 1 के नाम जरिये बंटवाड़ा खसरा सं. 16, 154/18 दर्ज हैं, जो संयुक्त हिन्दू परिवार की अदिभाजित सम्पति होने से सभी सदस्यों का उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से हक, अधिकार व कब्जा है। जीवनराम के हिस्से में जो भूमि आयी, जीवनराम के वारिस ने अलग अलग बक्षीसनामों के जरिये प्राप्त की तथा इसी प्रकार से भूराराम ने भी अपनी सम्पति अपने सभी परिवार के सदस्यों को हिस्से में दी, जो सम्पति वीरमाराम के नाम खसरा सं. 16 व 154/18 दर्ज है, में भगाराम के सभी वारिसान का संयुक्त हक, कब्जा मालिकाना का है, सजनीदेवी के देहान्त पर परिवार के सदस्यों ने विरमाराम से निवेदन किया कि उक्त सम्पति में प्रत्येक प्रार्थी एवं विप्रार्थी का समान हिस्सा है, रिकॉर्ड में जरिये बक्षीस दर्ज करवा दे ताकि भविष्य में विवाद नहीं हों, किन्तु विप्रार्थी ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया और भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान, रहन ट्रांसफर करने की धमकी दी।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 01 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, भगाराम ने कभी भी 1/6 हिस्सा खरीद कर विप्रार्थी सं. 01 के नाम दर्ज नहीं करवाया है, और प्रार्थीगण का यह कथन



प्रार्थी

ब नाम

विप्रार्थीगण

1. बुधाराम पुत्र भगाराम 2. हरकू बेवा मोहनराम, 3. रमेश पुत्र मोहनराम, 4. इन्द्रा पुत्री मोहनराम, 5. हवली पुत्री भगाराम, 6. पम्पीदेवी पुत्री भगाराम, सभी जातियान जाट निवासियान नन्दवान तह. व जिला जोधपुर

1. वीरमाराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी नन्दवान तहसील व जिला जोधपुर  
2. भुमिधारक तहसीलदार पचपदरा  
3. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. भारतीय स्टेट बैंक कल्याणपुर जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थित -

1. श्री जेठाराम सिंहल विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से -
2. श्री रतनलाल चौधरी विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थीगण की ओर से -

आदेश

दिनांक: 31-10-2017

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, सरहद मौजा मोरड़ा की राजस्व सीमा में खेत खसरा सं. 11 रकबा 04 बीघा 14 विस्वा, खसरा सं. 12 रकबा 05 बीघा, खसरा सं. 16 रकबा 282 बीघा 08 विस्वा, खसरा सं. 18 रकबा 62 बीघा 15 विस्वा, खसरा सं. 20 रकबा 179 बीघा 05 विस्वा कुल रकबा 534 बीघा 02 विस्वा, नरपतकरण के खातेदारी की थी, लक्षमणराम, भगाराम, अणदाराम तीनों ही सगे भाई थे, लक्षमणराम व भगाराम दोनो सगे सादु भी थे, भगाराम ने अपने बड़े पुत्र विप्रार्थी सं. 01 के नाम 1/6 हिस्सा तथा लक्षमणराम ने अपने बड़े पुत्र जीदाराम के नाम 1/6 हिस्सा तथा अणदाराम द्वारा अपने पुत्र भूराराम के नाम 1/6 हिस्सा, बन्नाराम के द्वारा अपने पौत्र नारायण के नाम 1/6 हिस्सा तथा अपने पौत्र धन्नाराम के नाम 1/6 हिस्सा व अपने पुत्र रूपाराम के नाम 1/6 हिस्सा संयुक्त बेचाननामें दिनांक 21.07.1967 में खरीद कर दर्ज करवाये, और मौके पर कब्जा प्राप्त किया, भगाराम, लक्षमणराम, अणदाराम के नाम भूमि खरीद की, उस समय उनकी आयु 19-20 वर्ष थी, तीनों पुत्रों की आय का कोई साधन नहीं था, अन्य पुत्रान सभी नाबालिग थे, तीनों भाईयों द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से संयुक्त हिन्दू परिवार के उपयोग उपभोग हेतु भूमि खरीद की भगाराम ने अपने पुत्र विरमाराम के नाम जो लगभग 50 वर्ष पूर्व 1/6 हिस्सा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीद किया था, पर भगाराम के जीवनकाल से सभी वारिसान का संयुक्त रूप से कब्जा कायम रहा व हैं । उस वक्त प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी नाबालिग थे, उक्त भूमि वर्तमान रेकर्ड में विप्रार्थी सं. 1 के नाम जरिये बंटवाडा खसरा सं. 16, 154/18 दर्ज हैं, जो संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति होने से सभी सदस्यों का उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से हक, अधिकार व कब्जा है । जीवनराम के हिस्से में जो भूमि आयी, जीवनराम के वारिस ने अलग अलग बक्षीसनामों के जरिये प्राप्त की तथा इसी प्रकार से भूराराम ने भी अपनी सम्पति अपने सभी परिवार के सदस्यों को हिस्से में दी, जो सम्पति वीरमाराम के नाम खसरा सं. 16 व 154/18 दर्ज है, में भगाराम के सभी वारिसान का संयुक्त हक, कब्जा मालिकाना का है, सजनीदेवी के देहान्त पर परिवार के सदस्यों ने विरमाराम से निवेदन किया कि उक्त सम्पति में प्रत्येक प्रार्थी एवं विप्रार्थी का समान हिस्सा है, रेकर्ड में जरिये बक्षीस दर्ज करवा दे ताकि भविष्य में विवाद नहीं हों, किन्तु विप्रार्थी ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया और भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान, रहन ट्रांसफर करने की धमकी दी।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 01 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, भगाराम ने कभी भी 1/6 हिस्सा खरीद कर विप्रार्थी सं. 01 के नाम दर्ज नहीं करवाया है, और प्रार्थीगण का यह कथन गलत हैं कि खरीददारों के पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं हो, और भूमि संयुक्त हिन्दू

.....2...



सहायक कलेक्टर  
जोधपुर

परिवार के उपयोग उपभोग हेतु खरीद की गई हो या संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीद की गई हो, बल्कि विप्रार्थी सं. 01 ने अपनी स्व-अर्जित आय से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा भूमि खरीद की है, प्रार्थी का यह कथन गलत है कि वक्त खरीद विप्रार्थी की आयु 19 से 20 वर्ष हो, बल्कि विप्रार्थी की आयु 22-23 वर्ष थी, जिस समय भूमि खरीद की, उस समय भगाराम का संयुक्त हिन्दू खानदान नहीं था, प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जा काशत नहीं है, विप्रार्थी व अन्य खरीददारों के मध्य सन् 1983 में बंटवाड़ा हो चुका है, उक्त भूमि विप्रार्थी सं. 01 की खरीदसुदा व कब्जा काशत हक मालिकाना की है, जिसमें प्रार्थीगण के कोई हक नहीं हैं। प्रार्थीगण के हक पक्ष में कोई प्रथम दृष्टियां मामला नहीं है, और न सुविधा का संतुलन है, और न प्रार्थीगण को अपूर्णाय क्षति होने की संभावना है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

वकील विप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थीगण ने भूमि खसरा सं. 16 रकबा 72 बीघा, खसरा सं. 54/18 रकबा 17 बीघा, कुल रकबा 89 बीघा मौजा मोरड़ा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से संयुक्त रूप से विप्रार्थी सं. 01 के नाम सन् 1967 में खरीदना साबित है, और यह तथ्य भी दोनों पक्षकारों की ओर से स्वीकृत है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 01 भगाराम के वारिस है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण ने उक्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होना मान कर अपने हकों हेतु न्यायालय में मूल वाद प्रस्तुत किया है, पक्षकारों के मध्य तत्समय में क्या सम्बन्ध रहे, उक्त सम्पत्ति किन परिस्थितियों में किनकी आय से खरीद हुई, या किसके द्वारा खरीद की, स्वतंत्र आय का जरिया के माध्यम से खरीद हुई है, या संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से, उक्त सभी बिन्दु दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के बाद ही तय होगी, इस दरमियान यदि वादग्रस्त सम्पत्ति का बेचान या ट्रांसफर होता है, तो प्रकरण में जटिलता उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, और वर्तमान रेकर्ड को यथावत बनाये रखा जाता है, तो किसी पक्षकार को क्षति या असुविधा होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है, इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सभी आधार प्रथम दृष्टियां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णाय क्षति, साम्या का पवित्र सिद्धान्त वादग्रस्त भूमि के वर्तमान रेकर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखने में ही पाये जाते हैं।

बाद गौर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दौराने दावा विप्रार्थी सं. 01 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि सरहद मौजा मोरड़ा में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 16 रकबा 72 बीघा, खसरा सं. 54/18 रकबा 17 बीघा के वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज तारीख 31-10-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भागेश्वरराम)  
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बठिण्डा